| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **प्रार्थना पत्र संख्या 104 / 2021 GCMS NO. 2021/695**<br>**उनवानी मूलीदेवी आदि बनाम मदरूप**<br>**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955** | |
| 31.07.2024 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थीगण हाजिर आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थी की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)<br><br>(सविता शर्मा)<br>आर.ए.एस.<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी<br>जिला नीमकाथाना (राज0)<br>उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी | |